

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राशमी
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान झाली

—:आदेश:—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी झाली व भू.अ.नि. राशमी की रिपोर्ट तथा उप तहसीलदार सालासर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम झाली तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2077 में खाता संख्या 1310, 1311, 851 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	झाली	1310	अलानूर पुग च्याबक्ष	नुर मोहम्मद पुग च्याब मोहम्मद
		1311	नूरा पुग चारा	नुर मोहम्मद पुग च्याब मोहम्मद
		884	अलानूर पुग च्याबक्ष	नुर मोहम्मद पुग च्याब मोहम्मद

(श्री)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, राशमी

कमांक :- 353/2021

दिनांक :- 10/11/21

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री नुर मोहम्मद पुग च्याब मोहम्मद को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(श्री)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, राशमी

